

# कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक

## विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं के चयन को होना निश्चित हुआ है। जिसके लिये शिक्षुओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. स.	पद का नाम	शिक्षुओं के रिक्त पद
1	MMV	12
2	D.Mech.	08
3	Turner	02
4	Elect.	03
5	Painter	01
6	Carpenter	03
7	Welder	03
8	TRF/Fitter	03
9	Plumber	01
10	Stenographer (Hindi)	01
11	Stenographer (English)	02
12	Black Smith/ Sheet Metal worker	02
	<b>Total</b>	<b>41</b>

इच्छुक शिक्षु अपने मूल दस्तावेज सहित महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक (नया बस अड्डा रोहतक) के कार्यालय में आयेंगे। जहां उनके मूल दस्तावेजों चैक किये जाएंगे। इच्छुक प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 05.06.2024 से 11.06.2024 तक आनलाइन करवा सकते हैं। दिनांक 05.06.2024 से पहले व दिनांक 11.06.2024 को रात्री 12 बजे के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। सफल शिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० के मार्कशीट की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। आनलाइन आवेदन प्राप्त होने उपरान्त प्रशिक्षुओं को दस्तावेजों चैक करने हेतु दिनांक 14.06.2023 को रोहतक आगार की कर्मशाला में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज चैक करने उपरान्त सूचि अनुसार चयनित रिक्त पड़े पदों के विरुद्ध सफल प्रार्थियों को यथाशीघ्र शिक्षुता हेतु लगा लिया जाएगा।  
([www.apperticeshipindia.org](http://www.apperticeshipindia.org))

**-Sd-**

महाप्रबन्धक,

PRDH:- 1119/11/491/2025/26449/1/6 Dt. 05/06/2024 हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक